प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 06.12.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 05.12.2025 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 03 विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	183/2025	साहिबाबाद	राजेन्द्र गोस्वामी पुत्र प्रमोद गिरी निवासी ए-251, राजीव कालोनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 505/2024 धारा 317(2),317(5) बीएनएस थाना शामीमार गार्डन, 2. मु0अ0सं0 475/2024 धारा 123,303(2) बीएनएस थाना शामीमार गार्डन,
2	229/2025	लोनी	फराज पुत्र हफीजुद्दीन निवासी चांद मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 714/2023 धारा 379,411 भादवि थाना लोनी, 2. मु0अ0सं0 289/2024 धारा 379,411 भादवि थाना लोनी,
3	268/2025	कविनगर	अरूण पुत्र हरेन्द्र चौधरी निवासी-खारा कुऑ ग्राम रजापुर थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 658/2025 धारा 3(5),303(2),317(2) बीएनएस थाना कविनगर, 2. मु0अ0सं0 649/2025 धारा 3(5),303(2),317(2) बीएनएस थाना कविनगर,

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष-2025 में अब तक कुल 151-विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) एवं 92- विपक्षी/अभियुक्तो को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

दिनांक 06.12.2025 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा उनके कब्जे से 01 तंमचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व चैन के एक टुकड़ा पीली धातु व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर बरामद।

घटना का विवरणः-

दिनांक 27.11.2025 को वादी श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी विजय मण्डी मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद ने एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के ससुर नरेन्द्र शर्मा के घर में घुसकर चाकू से वार करना तथा सास मधु शर्मा का कान काट कर कुण्डल व चैन लूटकर बाहर खड़े अपने अन्य साथियों के साथ फरार हो जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः-

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलैक्ट्रोनिक साक्ष्यो (सीडीआर /सीसीटीवी फुटेज) व मैनुअल इन्टैलीजेन्स व मैनुअल मुखबिर के आधार पर दिनांक 06.12.2025 को महागुनपुरम सोसाइटी के पीछे चौकी औद्योगिक क्षेत्र चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस फोर्स पर फायरिंग की गयी, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त रवि शर्मा उर्फ लवली पुत्र स्व0 सन्त कुमार शर्मा निवासी कन्तू पंडित जी वाली गली, ग्राम छिजारसी थानासै0 63 गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 29 वर्ष घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु संयुक्त जिला चिकित्सालय संजय नगर गाजियाबाद भेजा गया है। तथा अभियुक्त अंकुश शर्मा उर्फ अंकुर पुत्र स्व0 राजवीर शर्मा निवासी कन्तू पंडित जी वाली गली, ग्राम छिजारसी थानासै0 63 गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त रवि शर्मा ने पूछने पर बताया कि मैं और अंकुश शर्मा उर्फ अंकुर दोनों दोस्त है। अंकुश शर्मा उर्फ अंकुर ने मुझे बताया था कि कविनगर में पार्क के सामने एफ ई 14 में एक बुजुर्ग दम्पत्ति रहते है। पैसा तो नहीं मिला परन्तु सोने चांदी के जेबरात जरूर मिलेंगे। दिनांक 27/11/2025 को अंकुश घर से कुछ दूरी पर आने जाने वालों पर निगरानी करने लगा तथा मैं दम्पत्ति के घर में पंजाब नेशनल बैंक का प्रतिनिधि बताते हुए घुस गया। बुजुर्ग को ब्लेड कटर से डराते हुए एक कोने में चलने के लिए कहा तो उन्होंने शोर मचा दिया और इतने में उनकी पत्नी आ गयी और वो दोनों मुझसे भिड़ने लगे तो मैंने उनपर ब्लैड़ कटर से हमला कर दिया तथा महिला के एक कान का टीप्स व टॉप्स में लगी चैन को लेकर भाग गया था अंकुश मुझे भागता देखकर दुसरे रास्ते से भाग गया था। जो चैन का टुकड़ा मुझसे बरामद हुआ है यह उसी महिला के कान से छीने गये टौप्स का टुकड़ा है। मैं ब्लैड कटर को चलकर बता सकता हूँ कि कहा फैका था। आज लूट में मिले चैन को बेचने व कोई और घटना करने के लिये कविनगर क्षेत्र में घूम रहे थे कि पुलिस बल को देखकर घबरा गये और फायरिंग कर दी।

बरामदगी-

- 01 तंमचा 315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- चैन का एक टुकड़ा पीली धातु
- घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर

अभियुक्त का नाम पता-

1. रवि शर्मा उर्फ लवली पुत्र स्व0 सन्त कुमार शर्मा निवासी कन्तू पंडित जी वाली गली, ग्राम छिजारसी थाना सै0 63 गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 29 वर्ष
2. अंकुश शर्मा उर्फ अंकुर पुत्र स्व0 राजवीर शर्मा निवासी कन्तू पंडित जी वाली गली, ग्राम छिजारसी थाना सै0 63 गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. **रवि शर्मा उर्फ लवली पुत्र स्व0 सन्त कुमार शर्मा**
   कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंक के 1 व चोरी का 1 मुकदमा पंजीकृत है।

2. **अंकुश शर्मा उर्फ अंकुर पुत्र स्व0 राजवीर शर्मा**
   कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंक के 1 व चोरी का 1 मुकदमा पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमि0 गाजियाबाद

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.06.2025 को थाना भोजपुर पर वादी श्री खलील पुत्र गनी निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1.रहीस पुत्र चांद खाँ 2. हनीफ पुत्र चांद खाँ निवासी गण ग्राम नहाली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वादी के ऊपर हमला कर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 131,115(2),118(1),351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व विवेचना में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 118(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.12.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रहीस पुत्र चांद खाँ निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मेरी वादी खलील से जमीन को लेकर एक दिन कहासुनी हो गई थी इसलिये मैंने एक दिन अपने भाई हनीफ के साथ मिलकर आवेश में आकर मस्जिद में नवाज पढने के बाद उसके ऊपर हमला कर दिया था जिसमें वह घायल हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रहीस पुत्र चांद खाँ निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र 47 वर्ष।

वांछित अभियुक्त-

हनीफ पुत्र चांद खाँ निवासी ग्राम नहाली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर मारपीट के सम्बन्ध में 03 अभियोग, 01 अभियोग अपहरण, 01 अभियोग हत्या का प्रयास व 01 अभियोग डकैती संग अपहरण के अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 06.12.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र रामपार्क से अवैध 01 तमंचा देशी 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त राजीव उर्फ मोनू पुत्र स्व0 हर्षपाल निवासी राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त राजीव उर्फ मोनू ने पूछताछ करने पर बताया कि यह देशी तमंचा में दिल्ली से खरीद कर लाया था। मैं देशी तमंचा दिखाकर लोगों के मन में भय बनाकर अपना रौब जमाता हूँ। आज यह तमंचा लेकर मैं घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव उर्फ मोनू पुत्र स्व0 हर्षपाल निवासी राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त राजीव उर्फ मोनू के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा देशी 315 बोर

02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 2,44,937/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 09.07.2025 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम को आवेदक श्री हरिन्द्र सिंह पुत्र श्री चरण सिंह निवासी जयभारत एंकलेव मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन डेबिट कार्ड के माध्यम से कुल 2,44,937/- रुपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई।

कार्यवाही का विवरण:-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 09.07.2025 को श्री हरिन्द्र सिंह पुत्र श्री चरण सिंह निवासी जयभारत एंकलेव मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन डेबिट कार्ड के माध्यम से कुल 2,44,937/- रुपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि कुल 2,44,937/- रुपये को को बैंको से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आवेदक के साथ साइबर फ्रॉड की गयी कुल 2,44,937/- रुपये की धनराशि को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद।